न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 158/18

अनवान :

1. राजेन्द्र
2. ओमप्रकाश
3. जितेन्द्र कुमार

पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र रामस्याह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. किरण पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : – इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल **: वादीगण**
निर्णय दिनांक **: 13.07.2018**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रौही मौजा गढ़ड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 खसरा नं0 123 की 1.0750 हैक्टेयर, खसरा नं0 269 की 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 275 की 5.0330 हैक्टेयर, खसरा नं0 465 की 0.6950 हैक्टेयर, खसरा नं0 519 की 0. 1260 हैक्टेयर, खसरा नं0 521 की 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नं0 530/229 की 1.5180 हैक्टेयर, कुल 10.3070 हैक्टेयर बारानी विवादित कृषि भूमि है, जो वादीगण की दादालाई पैत्रिक पुस्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें तहसील में खसरा भूप्रबन्ध विभाग में मिलान क्षेत्रफल में वर्तमान खसरा नं0 519, 521, 530/229 का रिकार्ड अपडेट नही होने के कारण व उक्त खसरा की प्रविष्ट खसरा मिलान क्षेत्रफल में दर्ज नही होने के कारण वादीगण उक्त खसरो का मिलान क्षेत्रफल व पुस्तैनी होने का रिकार्ड पेश नही कर सका है, वाद भूमि के शेष खसरो का खसरा मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग के रजिस्ट्र में दर्ज होने के कारण वादीगण उक्त रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा है। खसरा नं0 519 व 521 व 530/229 की कृषि भूमि पुस्तैनी भूमि है। परन्तु रिकार्ड उपलब्ध नही होने के कारण वादीगण उक्त रिकार्ड प्रस्तुत नही कर सका है।

उपर वर्णित कृषि भूमि जो वादीगण के पिता के नाम दर्ज है, उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को वादीगण के दादा रामस्याह से प्राप्त हुई है। इस प्रकार कृषि भूमि पुस्तैनी पैत्रिक कृषि भूमि है, जिसमें वादीगण व

प्रतिवादिया संख्या 2 का जन्म से हक–हिस्सा है, उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम महज कर्ता खानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, कानूनन् कुल वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादिया संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से ही बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि के बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य सन् 2017 में दीपावली के रोज मौखिक पारिवारीक समझौता हुआ जिसके यह तैय किया गया कि वाद भूमि के अलावा प्रतिवादी संख्या 1 के पास ग्राम गढ़डा के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 205/201 की 15.5680 हैक्टेयर, संयुक्त खाता में 165 हिस्सा व इसी प्रकार ग्राम गढ़डा के जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 6/13 की 12.7890 हैक्टेयर, संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि में 98 हिस्सा खातेदारी भूमि है, जो प्रतिवादी संख्या 1 के पास रहेगी, तथा प्रतिवादी 1 व 2 ने पारिवारिक समझौता में वाद भूमि जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 की 10.3070 हैक्टेयर, खातेदारी भूमि मे अपना समस्त हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया। इस प्रकार खाता संख्या 113/118 की 10.3070 हैक्टेयर भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक हिस्सा नही है, तथा वादीगण मुताबिक पारिवारिक समझौता कुल वाद भूमि मे अपने आप को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करवाने व तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादीगण में राजेन्द्र पुत्र भूपसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम गढ़ड़ा खाता सं0 113/118, 205/201, 8/13 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 1, फोटो प्रतिलिपि प्रमाणित जमाब़न्दी भू–प्रबन्ध विभाग ग्राम गढडा सम्वत् 2019 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादीगण के पिता को वादीगण के दादा रामस्याह से प्राप्त हुई है इस प्रकार वाद भूमि पुस्तैनी पैत्रक सहदायिकी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी सं0 2 का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वाद भूमि जो प्रदर्श 1 में सभी खसरे एक ही खाते में दर्ज इसलिए भूमि सहदायिकी सम्पति होना प्रथम दृष्टया साबित पाया जाता है जिसका कहीं खण्डन भी नहीं हुआ है तथा प्रदर्श 2 में जो खसरा भूप्रबन्ध विभाग का जो मिलान क्षेत्रफल पेश हुआ है उसमें भूमि प्रतिवादी सं0 1 के पिता रामस्याह के नाम दर्ज है इसलिए भूमि पैत्रक एवं सहदायिकी

सम्पति होना प्रतीत होता है। दावा में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा प्रतिवादी सं0 1 के वादभूमि के अलावा ग्राम गढडा के खाता सं0 6/13 में 98 हिस्सा व खाता सं0 205/201 में 165 हिस्सा भूमि अलग से दर्ज है जो उसके पास ही रहेगी। इस प्रकार वाद वादीगण डिक्री योग्य है।

अत : वाद वादीगण डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा गढ़ड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 खसरा नं0 123 की 1.0750 हैक्टेयर, खसरा नं0 269 की 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 275 की 5.0330 हैक्टेयर, खसरा नं0 465 की 0.6950 हैक्टेयर, खसरा नं0 519 की 0. 1260 हैक्टेयर, खसरा नं0 521 की 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नं0 530/229 की 1.5180 हैक्टेयर, कुल 10.3070 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रौही मौजा गढ़ड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 की 10. 3070 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किऐ जाकर जमाबंदी हाल व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **13.07.2018** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलैक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलैक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 158/18

अनवान :

1.	राजेन्द्र	पुत्रान भूपसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2.	ओमप्रकाश	
3.	जितेन्द्र कुमार	

– वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र रामस्याह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. किरण पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा हाल निवासी भादरा वार्ड नं0 15 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलैक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण डिक्री योग्य होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा गढ़ड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 खसरा नं0 123 की 1.0750 हैक्टेयर, खसरा नं0 269 की 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नं0 275 की 5.0330 हैक्टेयर, खसरा नं0 465 की 0.6950 हैक्टेयर, खसरा नं0 519 की 0.1260 हैक्टेयर, खसरा नं0 521 की 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नं0 530/229 की 1.5180 हैक्टेयर, कुल 10.3070 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 का वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ने विवादित कृषि भूमि में से अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रौही मौजा गढ़ड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 113/118 की 10.3070 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किऐ जाकर जमाबंदी हाल व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक **13.07.2018** को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलैक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़